

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक 12 सन् 1970  
मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता  
अधिनियम, 1970

धाराएँ :

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. स्थानीय प्राधिकारी, निराश्रितों को सहायता देगा।
24. मंडी समिति स्थानीय प्राधिकारी को सहायता देगी।
5. स्थानीय प्राधिकारी कतिपय मामलों में कृषि उपज का संग्रहण करेगा।
- 25क. अवसर जब कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण किया जायेगा।
- 25ख. धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण वस्तु के रूप में या नगदी के रूप में किया जा सकेगा।
- 35 ग. विनिर्दिष्ट कृषि उपज के पश्चात परिवहन पर निर्बन्धन।
6. स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय क्षेत्र में खैरात के संग्रहण का आयोजन करेगा।
7. स्थानीय प्राधिकारी को उपकर अधिरोपित करने की शक्ति।
8. उपकर के आगम का तथा अन्य संग्रहणों का अधिनियम के प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा।
- 38 क. शास्ति।
9. नियम।
10. कतिपय एक्टों का संशोधन।
11. निरसन।

<sup>3</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>1</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 58 सन् 1976) द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1977, (क्रमांक 15 सन् 1977) द्वारा संशोधित/अन्तःस्थापित।

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 12 सन् 1970

### मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970

[दिनांक 5 फरवरी, 1970 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 13 फरवरी, 1970 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

स्थानीय प्राधिकारियों को इस बात के लिये बाध्य बनाकर कि वे निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों को सहायता दें, "स्थानीय प्राधिकारियों के लिये यह आवाह कर, बनाकर कि वे निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों को सहायता दें और उनके लिये आश्रमों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करें, निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिये तथा उससे संयुक्त विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।" निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिये तथा उससे संयुक्त विषयों के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाये:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (1) यह अधिनियम, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह धारा तथा धारा 9, 10 और 11 तुरन्त प्रवृत्त होंगी और शेष उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें, तथा भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषायें : इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'निराश्रित' से अभिप्रेत है :

(एक) वे वृद्ध तथा शिथिलांग व्यक्ति, या

(दो) वे अंधे, या बहरे तथा गूंगे, या अन्यथा निःशक्त हुये (डिसेबल्ड) व्यक्ति,

जो किसी स्थानीय क्षेत्र में निवास विषयक अपेक्षा को सम्मिलित करते हुये, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, जो कि विहित की जाये,

(क-एक) 'निर्धन व्यक्ति' से अभिप्रेत है :

(एक) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी कि जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, सीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाले; और

(दो) प्रतिमास एक सौ रुपये या उससे कम आय वाले :

किसी कुटुम्ब का कोई सदस्य।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिये 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत पति, पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चे, यदि कोई हों;

(ख) 'स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि' से अभिप्रेत है :

<sup>1</sup> [मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 58, सन् 1976) इस अधिनियम द्वारा स्थापित।] को दिनांक 7 अक्टूबर 1976 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 18 अक्टूबर 1976 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा स्थापित।

(इस अधिनियम को दिनांक 21 अप्रैल, 1972 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 अप्रैल, 1972 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

- (एक) नगरपालिका निगम के मामले में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23; सन् 1956),
- (दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);
- (तीन) ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत के मामले में, मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट, 1962 (क्रमांक 7 सन् 1962);
- (ग) 'स्थानीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है, किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र;
- (घ) 'स्थानीय प्राधिकारी' से अभिप्रेत है यथास्थिति नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन गठित की गई हो या गठित की गई समझी गई हो;
- <sup>1</sup>(ङ) 'मंडी क्षेत्र' का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) में दिया गया है;
- <sup>1</sup>(च) 'विनिर्दिष्ट कृषि उपज' से किसी मण्डी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत वह कृषि उपज जो यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो;
- <sup>1</sup>(छ) 'विनिर्दिष्ट दर' से, किसी विनिर्दिष्ट कृषि उपज के संबंध में अभिप्रेत है वह दर जो यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो।

3. स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी स्थानीय प्राधिकारी का बाध्यकर कर्तव्य यह होगा कि वह :

- (क) निराश्रितों को खाना खिलाने;
- (ख) निराश्रितों की देखरेख; और
- (ग) पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिये सेवा के अनुरक्षण तथा प्रबंध के लिये यथायोग्य व्यवस्था करें।
- <sup>2</sup>(घ) (एक) गम्भीर तथा आपाती मामलों में किसी निर्धन व्यक्ति के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये; या
- (दो) किसी निर्धन व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का दाह संस्कार करने के लिये; या
- (तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये,

ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, जो कि विहित की जाय, उधार मंजूर करना।

4. मंडी समिति स्थानीय प्राधिकारी को सहायता देगी : (1) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम के अधीन गठित की गई कोई भी मण्डी समिति :

- (एक) सम्बन्धित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन पर उपगत किये गये व्यय के प्रति ऐसे अनुपात में, जैसा कि विहित किया जाये, प्रतिवर्ष अभिदाय करेगी।
- (दो) मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के क्रेताओं से :
- (क) ऐसी कृषि उपज का;
- (ख) पाँच सौ ग्राम प्रति क्विंटल से अनधिक ऐसी दर से जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

संग्रहण करेगी।

<sup>1</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा स्थापित।

(2) कलेक्टर, उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन किसी मण्डी समिति द्वारा देय अभिदान का तथा उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन किसी मण्डी समिति द्वारा किये गये संग्रहणों का 25 प्रतिशत उन विभिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के बीच, जिनकी कि अधिकारिता के भीतर संबंधित मण्डी क्षेत्र आता है, आदेश द्वारा प्रभावित कर सकेगा।

2-क. उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रभाजन के पश्चात् शेष रही रकम, संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिये आश्रमों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जायेगी, परन्तु राज्य सरकार किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे आश्रमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये शेष रकम के दस प्रतिशत से अनधिक का उपयोग संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के बाहर के ऐसे अन्य क्षेत्र में निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिये आश्रमों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के लिये किये जाने का आदेश दे सकेगी।

2-ख. निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिये आश्रमों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति में किया जायेगा जैसी कि विहित की जाये।

1(3) मण्डी समिति उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन अपने द्वारा किये संग्रहणों का परिदान कलेक्टर को ऐसी कालावधि के भीतर करेगी जिसे कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

1(4) कलेक्टर उपधारा (3) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त किये गये संग्रहणों का वितरण उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रभाजन के अनुसार यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों को करेगा और ऐसे वितरण के पश्चात् अपने पास बचे हुये अतिशेष, यदि कोई हो, को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी रीति में रखेगा जिसे कि वह उचित समझे।

4-क. समितियों का गठन : राज्य सरकार, निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों के लिये आश्रमों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के विषय में राज्य सरकार को सलाह देने के लिये, राज्य तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन ऐसी रीति में तथा उनमें उतनी संख्या में सदस्यों को सम्मिलित करके कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाये।

1(5) कलेक्टर उपधारा (4) के अधीन अपने पास बचे हुये अतिशेष का उचित लेखा बनाये रखेगा।

5. स्थानीय प्राधिकारी कतिपय मामलों में कृषि उपज का संग्रहण करेगा- जहाँ मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) के अधीन स्थापित की गई मण्डी न हो तथा कृषि उपज के थोक संव्यवहारों के लिये कोई मण्डी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन स्थापित की गई हो, वहाँ स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बाल के होते हुये भी, मण्डी क्षेत्र के भीतर क्रय करने वालों से ऐसी कृषि उपज का पाँच सौ ग्राम प्रति किंटल से अनधिक ऐसी दर से, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संग्रहण करेगा।

25-क. अवसर जबकि धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण किया जायेगा - विनिर्दिष्ट कृषि उपज का संग्रहण:

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई दर से उस अवसर पर किया जायेगा जिस अवसर पर कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 के अधीन उद्ग्रहीत की गई मण्डी फीस का संग्रहण किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) से (4) तक के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के कृषि-उपज के संग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उस अधिनियम के अधीन फीस के उद्ग्रहण तथा संग्रहण को लागू होते हैं;

(ख) धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई दर से उस अवसर पर किया जायेगा जिस अवसर पर कि मण्डी क्षेत्र के भीतर विक्रय के लिये लाई गई या क्रय की गई या बेची गई ऐसी कृषि-उपज का प्रथम क्रय किया जाता है।

25-ख. धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण वस्तु के रूप में या नगदी के रूप में किया जा सकेगा - मण्डी समिति या स्थानीय प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट कृषि उपज के क्रेता के विकल्प पर, यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या धारा 5 के अधीन कृषि-उपज का संग्रहण यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई दर से या तो वस्तु के रूप में कर सकेगा या ऐसी दर या ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट

<sup>1</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा अन्तःस्थापित [इस अधिनियम को दिनांक 22 जुलाई 1977 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-7-1977 में प्रकाशित किया गया]।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा अन्तःस्थापित।

की जाये, नगदी के रूप में कर सकेगा और भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट कृषि-उपजों के लिये तथा भिन्न-भिन्न मण्डी क्षेत्रों के लिये भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

1 5ग. विनिर्दिष्ट कृषि उपज के परिवहन पर निर्बन्धन - मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) में या स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी व्यक्ति मण्डी क्षेत्र के बाहर किसी विनिर्दिष्ट कृषि उपज का परिवहन तब तक नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, जब तक कि ऐसी विनिर्दिष्ट कृषि-उपज का विनिर्दिष्ट दर से या तो नगदी के रूप में या वस्तु के रूप में इतना परिणाम, जिसका कि इस अधिनियम के अधीन संग्रहण के मद्धे दिया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति मण्डी समिति या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी विनिर्दिष्ट कृषि-उपज के संबंध में न दे दिया गया हो।

2 5घ. अभिदाय भू-राजस्व के बकाया के रूप में उगाया जायेगा - यदि कोई ऐसी व्यक्ति, जो यथास्थिति किसी मण्डी समिति द्वारा धारा 4 के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 5 के अधीन किये जाने वाले संग्रहणों लेखे अभिदाय करने का दायी है, विनिर्दिष्ट कृषि-उपज या उसके बदले में नकदी इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं देता है, तो कलेक्टर, उस मण्डी समिति या उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा शिकायत की जाने पर, उस व्यक्ति से धारा 5-ख में विनिर्दिष्ट की गई दरों से संगणित की गई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

2 5ङ. व्यक्तिक्रमी मण्डी समिति या व्यक्तिक्रमी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा करने की शक्ति की वह संग्रहण का निक्षेप विनिर्दिष्ट समय के भीतर करें - (1) यदि कोई मण्डी समिति या कोई स्थानीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कृषि-उपज का यथास्थिति धारा 4 या धारा 5 के अनुसार संग्रहण या परिदान नहीं करता है तो जिला पंचायत तथा कल्याण अधिकारी, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी से, ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये, जारी की गई सूचना द्वारा व्यक्तिक्रमी मण्डी समिति या व्यक्तिक्रमी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह धारा 5-ख में विनिर्दिष्ट की गई दर से संगणित की गई ऐसी रकम का ऐसी कालावधि के भीतर, जो कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, कलेक्टर के पास निक्षेप अनुमानित संग्रहण लेखे कर दे।

(2) यदि मण्डी समिति या स्थानीय प्राधिकारी उस रकम का निक्षेप उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर न करे, तो वह रकम उस मण्डी समिति या उस स्थानीय प्राधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

6. स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय क्षेत्र में खैरात के संग्रहण का आयोजन करेगा - स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई बाध्यता का निर्वहन करने के हेतु समर्थ बनाने के लिये, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय क्षेत्र के घर-घर जाकर, नगदी के रूप में या वस्तु के रूप में खैरात के संग्रहण का आयोजन कर सकेगा।

7. स्थानीय प्राधिकारी की उपकर अधिरोपित करने की शक्ति - (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारी, विहित रीति में स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित भूमियों तथा भवनों पर उप-कर -

(एक) कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई गई भूमि पर द्रव्य भू-राजस्व या नियत किये गये या निर्धारित किये गये लगान के, चाहे ऐसा भू-राजस्व या लगान या उसका कोई भाग निर्मुक्त, प्रशमित या मोचित कर दिया गया हो या नहीं, अथवा यदि भूमि बिना लगान के या कम लगान पर या अनुकूल शर्तों पर धारण की गई है तो ऐसी भूमि के संबंध में नियत किये गये लगान के दस प्रतिशत से अनधिक दर से;

(दो) भूमि या भवन के यथास्थिति, कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य या वार्षिक भाड़ा मूल्य के, जो कि संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अनुसार अवधारित किया गया हो, एक प्रतिशत से अनधिक दर से;

उद्ग्रहीत करेगा :

परन्तु किसी भी ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत, सीमाओं के भीतर स्थित भवनों के संबंध में ऐसा उपकर ऐसी दर से उद्ग्रहीत किया जायेगा जो भवन के उस पूँजीगत मूल्य के, जो कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया हो, प्रति सौ रुपये पर एक पैसे से अधिक न हो।

परन्तु यह और भी कि ऐसे भवनों पर जिनका कि पूँजीगत मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो, पूर्वागामी परन्तुक के अधीन,

1 मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा अन्तःस्थापित।

2 मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा अन्तःस्थापित।

कोई कर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया उपकर, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किये गये करों के अतिरिक्त होगा, और -

(एक) उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन उद्ग्रहीत किये गये उपकर के मामले में, भू-धारी उप-कृषक से भिन्न कृषक, या शासकीय पट्टेदार, जो भू-राजस्व या लगान का भुगतान करने का दायी हो, द्वारा देय होगा;

(दो) उपधारा (1) के खण्ड (दो) अधीन उद्ग्रहीत किये गये उपकर के मामले में, भूमि या भवन के स्वामी द्वारा देय होगा।

(तीन) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा -

(क) उपकर के निर्धारण तथा संग्रहण का विनियमन कर सकेगी;

(ख) ऐसे कर के अपवचन का निवारण कर सकेगी।

(चार) इस धारा में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी को -

(एक) कृषि के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई गई ऐसी भूमियों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) के अधीन भू-राजस्व के भुगतान से छूट दी गई है;

(दो) ऐसी भूमि या भवन पर, जो कि संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन सम्पत्ति कर के, दायित्वाधीन न हो और

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (2) के अधीन न आने वाले, किसी मामले में, ऐसी भूमि या भवन पर, जिसका वार्षिक भाड़ा मूल्य एक सौ रुपये से अधिक न हो,

इस अधिनियम के अधीन उपकर उद्ग्रहीत करने के लिये सशक्त करती है।

18. उपकर के आगम तथा अन्य संग्रहण अधिनियम के प्रयोजन पर व्यव किये जायेंगे - धारा 7 के अधीन उद्ग्रहीत किये गये उपकर के कुल आगम तथा इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार प्राप्त हुये अन्य अभिदाय एवम् संग्रहण धारा 3 और धारा 4 की उपधारा (2 क) में वर्णित प्रयोजनों पर व्यय किये जायेंगे।

18-क. शास्ति - जो कोई विनिर्दिष्ट कृषि उपज की धारा 5-ग के उल्लंघन में परिवहन करेगा, वह कारावास से, जो, तीन मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और जहाँ वह व्यक्ति यथास्थिति मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19, सन् 1960), के या स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित किसी विधि के अधीन संबंधित मण्डी क्षेत्र के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति धारण करता हो, वहाँ वह उपर्युक्त शास्ति के अतिरिक्त इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाये।

9. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता तथा पूर्ववर्ती शर्तों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् -

(क) वे अपेक्षाएँ जिनकी कि धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन पूर्ति की जानी है।

(ख) वह अनुपात जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अभिदाय किया जायेगा।

(ख-1) वह रीति जिसमें धारा 4 की उपधारा (2-ख) के अधीन आश्रमों की स्थापना और उनका अनुरक्षण किया जायेगा।

(ख-2) वह रीति जिसमें धारा 4-क के अधीन समितियाँ गठित की जायेंगी और उसके अधीन उन समितियों के सदस्यों की संख्या।

<sup>1</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ग) वह रीति जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उपकर उद्ग्रहीत किया जायेगा।

<sup>1</sup>(ग-1) वे निबन्धन तथा शर्तें जिनके कि अध्याधीन रहते हुये धारा 3 के खण्ड (घ) के अधीन उधार मंजूर किया जा सकेगा;

(घ) कोई अन्य विषय जो कि इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

10. कतिपय एक्टों का संशोधन - (1) मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956), की धारा 67 के चरण (ठ) का लोप किया जाये।

(2) मध्यप्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 124 के खण्ड (सीसी) का लोप किया जाये।

<sup>2</sup>(3) मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट, 1962 (क्रमांक 7, सन् 1962), की धारा 39 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) का लोप किया जाये।

11. निरसन - मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता अध्यादेश, 1969 (क्रमांक 17, सन् 1969), एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

---

<sup>1</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा अन्तःस्थापित।



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 11263/डी. 218/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-09-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 24 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन)  
अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—  
“मूल अधिनियम” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970).

धारा 2 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
“निःशक्त व्यक्ति” जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त है.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
“(तीन) विधवा या किञ्चिन्न विवाह (तलाकशुदा) या ऐसी महिला, जिसने क्रूरता भोगी हो, जो स्थानीय क्षेत्र में निवास संबंधी ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों जैसा कि विहित किया जाये ;”  
“(चार) नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चे.”
- (3) धारा 2 के उप-खण्ड (क-एक) (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
“राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के सदस्य.”
- (4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क-एक) के स्पष्टीकरण में शब्द “पति पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चे” के स्थान पर शब्द “पति, पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे तथा अविवाहित पुत्री” प्रतिस्थापित किया जाये.
- (5) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
“ग्राम पंचायत के मामले में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994).”

- (6) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत" के स्थान पर, शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति या ग्राम पंचायत" प्रतिस्थापित किया जाये।
- (7) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित (ज) तथा (झ) खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- "(ज) "राज्य निराश्रित निधि" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित निधि.
- (झ) "कूरता" से अभिप्रेत है—
- (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या
- (ख) महिलाओं का उत्पीड़न-उसको या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई विधि विरुद्ध मांग पूरी करने के लिए या इस कारण से कि वह या उनसे संबंधित कोई व्यक्ति ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है, उत्पीड़ित करना."
4. (1) मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "यथा योग्य व्यवस्था करे" के स्थान पर, शब्द "योजना का क्रियान्वयन तथा समुचित सहायता उपलब्ध कराना" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 3 का संशोधन.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (घ) में शब्द "उधार" के स्थान पर शब्द "सहायता" प्रतिस्थापित किया जाये.
- (3) धारा 3 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- "(एक) निराश्रित व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का दाह-संस्कार ;
- (दो) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लाभ के लिये विशेष योजना."
5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :- धारा 4 का संशोधन.
- "(2-क) कलेक्टर, मण्डी समिति द्वारा किये गये संग्रहण की रकम का बीस प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि में प्रभाजन और निक्षेप करेगा तथा ऐसी निधि में संग्रहित रकम किसी जिले के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जायेगी, जैसी कि विहित की जाए तथा आयुक्त/संचालक पंचायत एवं समाज सेवा छत्तीसगढ़ ऐसी निधि का प्रवर्तन और उचित लेखा संधारण करेगा और ऐसी निधि का लेखा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा अंकेक्षित किया जायेगा.
- (2-क क) राज्य निराश्रित निधि का समस्त धन, किसी सहकारी बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में या डाकघर बचत बैंक में निक्षेपित किया जायेगा.
- (2-क ख) उप-धारा (2) और (2-क) के अधीन प्रभाजन के पश्चात् शेष रकम संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण के प्रयोजन के लिये उपयोजित की जायेगी:
- परन्तु राज्य सरकार, किन्हीं अन्य क्षेत्रों में ऐसे आश्रमों की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए, संबंधित मण्डी समिति की अधिकारिता के बाहर ऐसे अन्य क्षेत्रों में निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों के लिए आश्रमों की स्थापना एवं संधारण हेतु शेष रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम को उपयोजित करने का आदेश दे सकेगी।”

- धारा 7 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, शब्द “या आदिवासी पंचायत” का लोप किया जाये.
- धारा 9 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में :—  
 (एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
 “(क-1) वह रीति, जिसमें धारा 4 की उपधारा (2-क) के अधीन किसी जिले में राज्य निराश्रित निधि उपयोजित की जायेगी ;”  
 (दो) मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग-1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—  
 “(ग-1) वे शर्तें और निबन्धन जिनके अधीन रहते हुए धारा 3 के अधीन सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी.”

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्रमांक 11253/डी. 218/21-अ/प्रा./छ. ग./10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
 (No. 24 of 2010)

THE CHHATTISGARH NIRASHRITON AVAM NIRDHAN VYAKTIYON KI  
 SAHAYATA (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.  
 (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.  
 (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—  
 "Principal Act" means the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970). Definition.
3. (1) For sub-clause (ii) of clause (a) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely :—  
 "Person with disability" suffering from not less than forty percent of any disability as certified by a medical authority. Amendment of Section 2.
- (2) After sub-clause (ii) of clause (a) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be inserted, namely :—  
 "(iii) a widow or a divorcee or a woman subjected to cruelty fulfilling such requirements including that of residence in a local area as may be prescribed;  
 (iv) Children affected by naxal violence."
- (3) For sub-clause (a-i) (ii) of Section 2, the following sub-clause shall be substituted, namely :—  
 "members belonging to family of below poverty line as notified by the State Government from time to time."
- (4) In explanation of clause (a-i) of Section 2 of the Principal Act, for the words "husband, wife and their minor children," the words "husband, wife, their minor children and unmarried daughter" shall be substituted.
- (5) For sub-clause (iii) of clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely :—  
 "in the case of a Gram Panchayat, the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)".
- (6) In clause (d) of Section 2 of the Principal Act, for the words "notified area committee or gram panchayat or adivasi panchayat" the words "notified area committee or gram panchayat" shall be substituted.
- (7) After clause (g) of Section 2 of the Principal Act, the following (h) and (i) clauses shall be added, namely :—  
 "(h) "State Destitute Fund" means the Fund constituted under section 4.  
 (i) "Cruelty" means—  
 (a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman, or  
 (b) harassment of woman—where such harassment is with a view to coercing her or any person related her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand."
4. (1) In section 3 of the Principal Act, for the words "make adequate provision" the words "implement scheme and to provide adequate relief" shall be substituted. Amendment of Section 3.
- (2) In clause (d) of Section 3 of the Principal Act, for the word "loan" the word "assistance" shall be substituted.

(3) For sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of Section 3, the following shall be substituted, namely :—

“(i) cremation of an indigent person or any member of his family;

(ii) special schemes for the benefit of girls belonging to families of below poverty line as notified by the State Government from time to time.”

Amendment of Section 4.

5.

For sub-section (2-A) of Section 4 of the Principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(2-A) The Collector shall apportion and deposit twenty percent of the amount of collection made by a market committee, into the State Destitute Fund, and the amount collected in such fund shall be utilised for any district in such manner as may be prescribed, and the Commissioner/Director, Panchayat and Social Welfare Chhattisgarh shall operate and maintain proper account of such fund, and the account of such fund shall be audited by the Director, Local Fund Audit, Chhattisgarh.

(2-AA) All moneys of the State Destitute Fund shall be deposited in a co-operative bank or any Bank specified in the first Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), as a corresponding new bank or in post office saving bank.

(2-AB) The amount remaining after apportionment under sub-section (2) and (2-A) shall be utilised for the purpose of setting up and maintaining homes for destitutes and indigent persons in the area falling within the jurisdiction of the market committee concerned:

Provided that the State Government may, having regard to the need of such homes in any other areas, order the utilisation of not exceeding ten percent of the remaining amount for setting up and maintaining homes for destitutes and indigent persons in such other area outside the jurisdiction of the market committee concerned”.

Amendment of Section 7.

6.

In the first proviso to sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, the words “or adivasi panchayat” shall be omitted.

Amendment of Section 9.

7.

In sub-section (2) of Section 9 of the Principal Act :—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(a-1) the manner in which the State Destitute Fund shall be utilised in any district under sub-section (2-A) of Section 4;”

(ii) for clause (c-1) of Section 9 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

“(c-1) terms and conditions subject to which relief may be provided under Section 3.”